

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या - 2227 / 2010 / चित्तौडगढ़

मैसर्स मधुसूदन इण्डस्ट्रीज लि०,  
निम्बाहेडा।

.....अपीलार्थी।

बनाम

वाणिज्यिक कर अधिकारी,  
प्रतिकरापवंचन, डूंगरपुर।

.....प्रत्यर्थी।

एकलपीठ  
श्री अमर सिंह, सदस्य

उपस्थित : :

श्री अभिषेक अजमेरा,  
अभिभाषक

.....अपीलार्थी की ओर से।


श्री जमील जई,  
उप-राजकीय अभिभाषक

.....प्रत्यर्थी की ओर से।

निर्णय दिनांक : 13 / 05 / 2014

निर्णय

1. यह अपील अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर विभाग, उदयपुर (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा जायेगा) के अपील संख्या 221 / आरएसटी / Remand / 2009-10 निर्णय दिनांक 16.08.2010 के विरुद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 सपठित राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 (जिसे आगे 'अधिनियम' कहा जायेगा) की धारा 83 के तहत प्रस्तुत की गयी है।
2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, डूंगरपुर (जिसे आगे "कर निर्धारण अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा धारा 78(5) के अन्तर्गत पारित आदेश के तहत शास्ति रूपये 56,588/- आरोपित की गई जिसके अन्दर परिवहनित माल के साथ बिल एवं बिल्टी के साथ घोषणा पत्र अवधि पार पूर्णतया खाली था। नोटिस की पालना में बाद में दूसरा घोषणा-पत्र ST 18A पूर्ण भरा हुआ प्रस्तुत कर दिया गया था। अपीलीय अधिकारी के निर्णय दिनांक 07.07.2000 को आदेश व्यवसायी के पक्ष में पारित किया। इसके बाद विभाग द्वारा राजस्थान कर बोर्ड में अपील प्रस्तुत की और राजस्थान बोर्ड के निर्णय 20.12.2002 के तहत अपील अस्वीकार की। इसके बाद विभाग द्वारा राजस्थान उच्च न्यायालय में अपील दायर की गयी। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने दिनांक 05.09.2007 को इस अपील को अपीलीय अधिकारी के यहां प्रेषित किया इसके बाद अपीलीय अधिकारी ने व्यवहारी की अपील को सुना और अवधि पार घोषणा पत्र को तथा पूर्णतया खाली फार्म मानकर इस अपील को माननीय उच्चतम न्यायालय के मैसर्स गुलजग इण्डस्ट्रीज बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी के निर्णय [(2007) टैक्स अपडेट वोल्यूम 18 पार्ट 8 पेज 321] के आदेश से आच्छादित मानते हुए दिनांक 16.08.2010 अपील अस्वीकार की और जो नया घोषणा पत्र पेश किया उसको मानने योग्य नहीं माना।
3. उभयपक्षों की बहस सुनी गयी।



लगातार.....2

4. अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान कथन किया कि उनका प्रकरण मैसर्स गुलजग इण्डस्ट्रीज से आच्छादित नहीं होकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय **State of Rajasthan V/s D.P. Metal reported in 2001 (124) STC 611** के प्रकरण में दिये गये निर्णय से आच्छादित है। अतः शास्ति देय नहीं है।


5. विभाग की ओर से विद्वान उपराजकीय अभिभाषक द्वारा अपनी बहस में कथन किया कि अपीलार्थी द्वारा न केवल अवधिपार फार्म 18ए पेश किया है। बल्कि वह पूर्णतया खाली फार्म है। जो कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय मैसर्स गुलजग इण्डस्ट्रीज बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी के निर्णय [(2007) टैक्स अपडेट वोल्यूम 18 पार्ट 8 पेज 321] से पूर्णतया आच्छादित है। अतः शास्ति विधिक रूप से आरोपित की गयी है तथा अपीलीय अधिकारी द्वारा सभी तथ्यों पर विचार कर एक विधिक व उचित निर्णय दिया गया है। अतः उसे कायम रखा जावे।

6. दोनों पक्षों की बहस सुनी गई एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया। पत्रावली पर संलग्न फार्म पूर्णतया खाली है तथा अवधिपार भी है। ऐसे फार्म को कोई महत्व नहीं दिया जा सकता है। इस सम्बन्ध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मैसर्स गुलजग इण्डस्ट्रीज बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी के निर्णय [(2007) टैक्स अपडेट वोल्यूम 18 पार्ट 8 पेज 321] में दिये गये निर्णय के अनुसार यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि व्यवहारी द्वारा परिवहनित माल के साथ घोषणा प्रपत्र एस.टी.18ए नहीं होने/अपूर्ण होने की स्थिति में अधिनियम की धारा 78(2) के विधिक प्रावधानों का उल्लंघन मानते हुए व्यवहारी के विरुद्ध अधिनियम की धारा 78(5) के प्रावधानों के तहत शास्ति आरोपित किया जाना विधिक है।

अपीलार्थी के अधिकृत प्रतिनिधि का यह कथन भी उचित नहीं है कि उनका वाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय **State of Rajasthan V/s D.P. Metal reported in 2001 (124) STC 611** से Coverd है तथा नोटिस की पालना में नया फार्म पूर्ण भरकर प्रस्तुत कर दिया गया था। अतः उसे मानकर शास्ति आरोपित नहीं की जानी चाहिये थी। परन्तु यदि कोई पत्र मौके छूट जावे तो ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय **State of Rajasthan V/s D.P. Metal reported in 2001 (124) STC 611** के अनुसार उसे पेश करने की अनुमति दी जा सकती है। यहा तो फार्म संलग्न था जो कि न केवल अवधिपार था बल्कि पूर्णतया खाली भी था। अतः कर निर्धारण अधिकारी ने उचित रूप से शास्ति आरोपित की गयी थी तथा अपीलीय अधिकारी ने विधिक रूप से उसे कायम रखा है अतः उसमें हस्तक्षेप करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

7. फलतः अपीलार्थी व्यवहारी की अपील अस्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

  
13-5-14  
( अमर सिंह )  
सदस्य